IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Employment Generation and Tribal Participation : In the context of Rajasthan

(रोजगार सृजन एवं जनजातियों की सहभागिता : राजस्थान के संदर्भ में)

Author – Banwari Lal Meena, Research Scholar, Department of Economics, Lords University, Alwar, Rajasthan.

लेखक – बनवारी लाल मीणा, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, लार्डस विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान

Abstract : राजस्थान, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जनजातीय समुदायों की विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग जनजातियों से संबंधित है, जिनमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि प्रमुख हैं। परंतु आर्थिक दृष्टि से यह समुदाय अब भी सामाजिक मुख्यधारा से पीछे है। रोजगार सृजन इन समुदायों के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, बल्कि उन्हें सामाजिक गरिमा और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होती है। राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि मनरेगा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वन धन योजना, ट्राइफेड आदि। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कृषि आधारित कार्यों तथा वन उत्पादों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं में जनजातीय समुदायों की सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा बाजार से जुड़ाव जैसे प्रयास किए गए हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जैसे कि अशिक्षा, सूचना का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, बिचौलियों की भूमिका तथा योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना। अतः यह आवश्यक है कि रोजगार सृजन की रणनीतियाँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों और जनजातीय समुदायों को योजना निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रियाओं में सहभागी बनाया जाए। इस शोधपत्र में राजस्थान में रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीतियाँ, जनजातीय सहभागिता के स्तर तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधारों का विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समग्र सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नीति–निर्माताओं एवं शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।

Keywords : रोजगार सृजन, जनजातीय समुदाय, राजस्थान, जनजातीय सहभागिता, सतत विकास, सरकारी योजनाएँ, मनरेगा, वन धन योजना, ट्राइफेड, स्वरोजगार, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, लघु उद्योग, वन उत्पाद, नीति निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक–आर्थिक विकास, ग्रामीण रोजगार, आदिवासी विकास।

Article : राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ–साथ विविध जातीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। यहाँ की जनजातीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 13% है, जिनमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, काठोड़ी, डामोर, नायक जैसी अनेक जनजातियाँ प्रमुख हैं। ये जनजातियाँ मुख्यतः दक्षिणी एवं दक्षिण–पूर्वी जिलों जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां आदि में केंद्रित हैं। ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समुदायों की आजीविका कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, हस्तशिल्प और पारंपरिक सेवाओं पर आधारित रही है, लेकिन औद्योगिकीकरण, वनों के क्षरण और भूमि की घटती उत्पादकता के कारण

पारंपरिक आजीविका साधन संकट में आ गए हैं। इन परिस्थितियों में रोजगार सृजन और उसमें जनजातियों की भागीदारी एक न केवल सामाजिक और आर्थिक, बल्कि नीति–निर्माण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। रोजगार किसी भी व्यक्ति के जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, और यह आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और जीवन–स्तर को सुधारने का सशक्त माध्यम भी है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता, बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता और जागरूकता के अभाव के कारण यह समुदाय मुख्यधारा से वंचित रह जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे या तो असंगठित श्रम बाजार में कम पारिश्रमिक पर काम करने को विवश होते हैं या पलायन के लिए बाध्य होते हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस समस्या को समझते हुए कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना, जनजातीय उपयोजना, वन अधिकार अधिनियम, स्वरोजगार योजनाएँ, सहकारिता आधारित रोजगार मॉडल आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इन पहलों की पहुँच, गुणवत्ता और प्रभावशीलता को लेकर अब भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। जनजातीय समुदायों की रोजगार में सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनकी पारंपरिक क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ा जाए, प्रशिक्षण सुविधाएँ सुलभ कराई जाएँ, बाज़ार से जोड़ने की व्यवस्था की जाए और स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही, नीति निर्माण में जनजातीय दृष्टिकोण और भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए ताकि विकास प्रक्रिया वास्तव में समावेशी बन सके। राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति, अवसरों, चुनौतियों और जनजातियों की भागीदारी का सम्यक् विश्लेषण प्रस्तुत करना है, जिससे नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को प्रभावी हस्तक्षेप हेतु दिशा मिल सके।

सामाजिक व आर्थिक स्थिति

राजस्थान में प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, काठोड़ी, डामोर, नायक, और सांसी हैं। इन समुदायों का एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है, किन्तु आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ये आज भी पिछड़े हुए हैं। सदियों से ये जनजातियाँ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन–शैली को अपनाकर वनों, पहाड़ियों और सीमांत क्षेत्रों में बसती रही हैं। सामाजिक दृष्टि से राजस्थान की जनजातियाँ अपेक्षाकृत अलग जीवनशैली अपनाए हुए हैं। इनमें सामूहिकता, परंपराओं, लोक–कला, नृत्य और संगीत की विशेष भूमिका होती है। इनकी सामाजिक संरचना कबीलाई या समुदाय आधारित होती है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया पारंपरिक पंचायतों या बुजुर्गों के नेतृत्व में होती है। विवाह, मृत्यु, जन्म जैसे अवसरों पर सामूहिक रीति–रिवाज़ और परंपराएँ निभाई जाती हैं। अधिकांश जनजातियाँ मातृसत्तात्मक अथवा समतावादी दृष्टिकोण रखती हैं, और महिला की भूमिका सामाजिक एवं आर्थिक निर्णयों में प्रमुख होती है। किंतु आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सीमित होने के कारण ये समुदाय मुख्यधारा की सामाजिक उन्नति से वंचित हैं। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान की जनजातियाँ परंपरागत रूप से कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर निर्भर रही हैं। अधिकांश जनजातीय परिवार छोटे व सीमांत किसान हैं या भूमिहीन कृषि मजदूर। वर्षा पर निर्भर असिंचित कृषि, भूमि की उर्वरता की कमी, संसाधनों की अल्पता तथा आधुनिक कृषि तकनीकों का अभाव इनकी आय को सीमित बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त, गैर–कृषि कार्यों में भी इनकी भागीदारी असंगठित और अस्थायी श्रम बाजार तक सीमित है। वन क्षेत्रों से लकड़ी, जड़ी–बूटियाँ, मधु और अन्य वनोपज एकत्र कर स्थानीय हाट–बाज़ार में बेचने की परंपरा अब भी जारी है, किंतु उचित मूल्य और बाज़ार की अनुपलब्धता इनके आर्थिक शोषण का कारण बनती है। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए "जनजातीय उपयोजना" के अंतर्गत कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार और परिवहन सुविधाओं का विस्तार। फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर, खासकर महिला साक्षरता, राज्य के औसत से बहुत कम है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में भी असमानता दिखाई देती है। बाल मृत्यु दर, कुपोषण और मातृ मृत्यु दर जैसे सूचकांक जनजातीय समाज में चिंता का विषय हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के पारंपरिक स्वरूप

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार का स्वरूप लंबे समय तक पारंपरिक, स्थानीय संसाधनों पर आधारित और प्रकृति–केंद्रित रहा है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक विषमताएँ, सीमित बुनियादी सुविधाएँ, तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टताएँ यहाँ की आजीविका संरचना को प्रभावित करती रही हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ – जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, काठोड़ी आदि परंपरागत रूप से अपनी जीविका के लिए कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, शिल्प–कला और मजदूरी जैसे साधनों पर निर्भर रही हैं। इन पारंपरिक आजीविका साधनों ने इन समुदायों को वर्षों तक आत्मनिर्भर बनाए रखा, किंतु बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण इनका महत्व और स्थायित्व अब चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। सबसे प्रमुख पारंपरिक रोजगार कृषि है, जिसे अधिकतर जनजातीय समुदाय आजीविका का मुख्य आधार मानते हैं। परंतु यह कृषि प्रायः वर्षा पर निर्भर, असिंचित और पारंपरिक औजारों पर आधारित होती है। भूमि जोत छोटी होती है और उत्पादकता कम, जिससे आत्मनिर्भरता संभव नहीं हो पाती। साथ ही, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों का अभाव भी जनजातीय किसानों की आर्थिक स्थिति को सीमित बनाए रखता है। कुछ समुदाय झूम खेती जैसी पद्धतियाँ भी अपनाते हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अब अलाभकारी मानी जाती हैं। वनोपज संग्रहण जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। वनों से लकड़ी, मधु, हरड़, बेहड़ा, चिरौंजी, तेंदूपत्ता, महुआ, लाख, औषधीय जड़ी–बूटियाँ आदि एकत्र कर ग्रामीण हाट–बाज़ारों में बेचना आम बात है। इन उपजों का मूल्य निर्धारण प्रायः बिचौलियों के माध्यम से होता है, जिससे जनजातीय उत्पादकों का शोषण होता है। इसके बावजूद यह कार्य महिलाओं और वृद्धों के लिए एक सुलभ एवं नियमित आजीविका साधन बना हुआ है। पशुपालन भी पारंपरिक रोजगार का अभिन्न हिस्सा है। बकरी, गाय, बैल और मुर्गीपालन से घरेलू उपयोग और सीमित बिक्री दोनों ही उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन, गोबर खाद, और पशु श्रम (खेत जोतने आदि में) से पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। मगर इस क्षेत्र में भी पूँजी, बाजार और पशुचिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जनजातीय क्षेत्रों में दस्तकारी एवं कुटीर उद्योग, जैसे बाँस और लकड़ी की वस्तुएँ बनाना, टोकरी बुनाई, कसीदाकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे का काम (लोहारगिरी), पारंपरिक गहनों का निर्माण, और लोक कला–नृत्य भी आय के माध्यम रहे हैं। ये कौशल पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होते हैं और सामाजिक अवसरों से जुड़े होते हैं।

रोजगार सृजन हेतु सरकारी योजनाएँ व कार्यक्रम

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और सीमित संसाधनों के चलते रोजगार सृजन एक गंभीर चुनौती रही है। इस स्थिति को सुधारने हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य न केवल आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, बल्कि जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ये योजनाएँ ग्रामीण विकास, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों को समाहित करती हैं। सबसे प्रमुख योजना **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी कार्य प्रदान करने का प्रावधान है। यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में जल संरक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, और भूमि सुधार जैसे कार्यों के माध्यम से न केवल रोजगार प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय संसाधनों के विकास में भी सहायक है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा की पहुँच अपेक्षाकृत अधिक है और महिला भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना और **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** जैसी योजनाएँ जनजातीय युवाओं को विविध तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाने का कार्य करती हैं। ये योजनाएँ प्रशिक्षण के साथ–साथ प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान करती हैं, जिससे कई युवाओं को निर्माण, खुदरा, पर्यटन, और सेवा क्षेत्रों में रोजगार मिला है।

वनबंधु कल्याण योजना, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे को एकीकृत रूप से विकसित करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान कर विकास कार्य किए जाते हैं। इसके तहत स्वरोजगार, कृषि सुधार, सिंचाई, सड़क निर्माण और आवास से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्टैंड–अप इंडिया, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी ग्रामीण आजीविका मिशन, और सहकारिता

आधारित रोजगार कार्यक्रम भी जनजातीय समुदाय को स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार का विविधीकरण करना और उन्हें पारंपरिक निर्भरता से मुक्त करना है। इन योजनाओं की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी पारदर्शिता से इनका क्रियान्वयन होता है और कितनी जागरूकता और सहभागिता समुदाय में है। यदि इन योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए, तो यह जनजातीय क्षेत्रों में सतत् विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध हो सकता है।

कौशल विकास और प्रशिक्षण में जनजातियों की सहभागिता

कौशल विकास और प्रशिक्षण आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है, विशेषकर ऐसे समुदायों के लिए जो पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर हैं और जिनकी पहुँच आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान तक सीमित रही है। राजस्थान की जनजातियाँ, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया आदि प्रमुख हैं, ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक कृषि, वनोपज संग्रहण, शिल्पकला और मजदूरी पर आधारित आजीविका प्रणाली से जुड़ी रही हैं। परंतु बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में जब रोजगार के अवसर तकनीकी और कौशल पर आधारित होते जा रहे हैं, तब जनजातीय युवाओं की भागीदारी कौशल विकास कार्यक्रमों में अत्यंत आवश्यक हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनेक कौशल विकास योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की पहलें, आदि। इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर शिक्षा, होटल मैनेजमेंट आदि विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। हालाँकि, इन योजनाओं की उपस्थिति के बावजूद जनजातीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे – शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव, सामाजिक व भाषायी अवरोध, प्रशिक्षण केंद्रों की भौगोलिक दूरी, प्रशिक्षण के दौरान आजीविका का संकट, और प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार की गारंटी का अभाव। इसके अलावा, कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम जनजातीय जीवनशैली और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाते, जिससे वे युवाओं के लिए आकर्षक नहीं बन पाते। फिर भी, जहाँ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं और समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, वहाँ उनकी सफलता भी देखी गई है। स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, और सामुदायिक संस्थानों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं और युवतियों की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी है, जिससे उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिला है।इस प्रकार, जनजातीय समुदायों में कौशल विकास और प्रशिक्षण की सहभागिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण सुविधाओं को स्थानीय भाषा, संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार की ठोस व्यवस्था की जाए। इससे न केवल जनजातीय युवाओं को बेहतर जीवन अवसर मिलेंगे, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

महिला सहभागिता और सशक्तिकरण

राजस्थान के जनजातीय समाज में महिलाएँ पारंपरिक रूप से पारिवारिक और सामुदायिक जीवन की धुरी रही हैं, किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक निर्णयों में उनकी सहभागिता सीमित रही है। हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों, और गैर–सरकारी संगठनों की सक्रियता से जनजातीय महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है। महिलाओं को स्वरोजगार, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योगों तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। विशेष रूप से मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और महिला बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है। अब महिलाएँ केवल श्रमिक ही नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी सामने आ रही हैं। बावजूद इसके, अशिक्षा, बाल विवाह, स्वास्थ्य समस्याएँ और सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी बाधाएँ बनी हुई हैं। सशक्तिकरण को साकार करने के लिए समावेशी नीति और सामुदायिक समर्थन अत्यंत आवश्यक है।

Conclusion : राजस्थान भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां विभिन्न जनजातियाँ जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि निवास करती हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। रोजगार सृजन न केवल इन समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधारने का माध्यम है, बल्कि यह उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने का भी एक सशक्त साधन है। राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनेरेगा), कौशल विकास मिशन, वन धन योजना, ट्राइफेड, और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं। इन प्रयासों के माध्यम से जनजातियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधा प्रदान की जा रही है। हालाँकि, योजनाओं के बावजूद कई समस्याएँ बनी हुई हैं, जैसे – जानकारी का अभाव, शिक्षा की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता तथा योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना।

References :

1. मीणा, रमेश चन्द्र, राजस्थान में जनजातीय विकास : नीतियाँ और कार्यक्रम, पब्लिकेशन्स, जयपुर, : 2016
2. शर्मा, लक्ष्मीनारायण, आदिवासी अर्थव्यवस्था और विकास, ाजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर , 2013
3. भारती, टीकाराम, वनांचल के विकास की चुनौतियाँ : राजस्थान के सन्दर्भ में, आलेख प्रकाशन, जयपुर, 2017
4. राठौड़, आर.एस. एवं सिंह, महेन्द्र, राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की आजीविका और सशक्तिकरण, प्रकाशकः ए.बी.डी. प्रकाशन, जयपुर, 2014
5. राजस्थान जनजातीय उपयोजना वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर